(1)

प्रो० धनंजय कुमार
सहायक प्राध्यापक
वाणिज्य विभाग
V.S.J. महाविद्यालय
राजनगर (मधुबनी)

B.Com (H)
Pt - Acc (H)
Paper - IV
CORPORATE ACCOUNTING

UNIT- I

FORFEITURE AND RE-ISSUE OF FORFEITURE SHARES.

अंशों का हरण एवं उनका पुनर्निर्गमन करना

निर्गमित अंशों का भुगतान अंशधारियों द्वारा किश्तों में किया जाता है। यदि कोई अंशधारी आवेदन के अतिरिक्त आबंटन (Allotment) या किसी याचना (Calls) की राशि का भुगतान 12 माह के अंदर नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में संचालकों को उस अंशधारी के अंशों को जब्त कर लेने का अधिकार होता है। अर्थात् संचालक को यह यह अधिकार होता है कि उस अंशधारी का नाम अंशधारियों के रजिस्टर में से काट दें तथा उन अंशों के संबंध में जो राशि प्राप्त हो चुकी है उसे जब्त कर लें।

अंशों को जब्त करने के लिए कंपनी के अन्तर्नियमों में दिए नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाता है। यदि कंपनी के अन्तर्नियम में अंशों को जब्त करने संबंधी नियम नहीं दिये गये हों तब कंपनी अधिनियम की (Table A) का नियम लागू होता है।

अंशों को जब्त करने पूर्व कंपनी अंशधारी को एक नोटिस भेजती है, वह अपने अंशों पर बकाया राशि एक निश्चित समय के अंदर ब्याज सहित भुगतान कर दें। भुगतान संबंधी जो तिथि निर्धारित की जाये वह अंशधारी को सूचना मिलने के कम से कम 14 दिन बाद की होनी चाहिए। यदि अंशधारी निर्धारित तिथि तक भी भुगतान नहीं करता है, तब संचालक मंडल जब्त संबंधी प्रस्ताव पास कर अंशों को जब्त कर लेता है। अंशों को जब्त करने से अंशों का आवंटन रद्द नहीं होता है ——

Scanned with CamScanner

अंशों के हरण संबंधी प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 की सारणी - 'F' (Table-F) में दिया गया है। अंशों के हरण के पश्चात् लेखा करने की विधि इस प्रकार है —

A. सममूल्य (At Par) पर निर्गमित अंशों का हरण करते समय लेखा —

Share Capital A/c Dr.
    To Share Allotment A/c (Unpaid Amount)
    To Share Calls A/c (Unpaid Amount)
    To Share Forfeiture A/c (Paid Amount)
(Being shares forfeited for non payment of allotment and calls.)

B. प्रीमियम (At Premium) पर निर्गमित अंशों का हरण करते समय लेखा —

इस संबंध में लेखा करते समय निम्न लिखित बातों का ध्यान में रखा जाता है — (i) जब प्रीमियम प्राप्त होने से पूर्व अंशों को जब्त किया जाए, अर्थात् प्रीमियम प्राप्त न हुआ हो तब —

Share Capital A/c Dr.
Securities Premium Reserve A/c Dr.
    To Share Allotment A/c. (Unpaid Amount)
    To Share Calls A/c. (Unpaid Amount)
    To Share Forfeiture A/c. (Paid Amount)
(Being shares forfeited for non payment of allotment and calls)

(ii) जब प्रीमियम प्राप्त होने के बाद अंशों को जब्त किया जाए तब लेखा निम्न प्रकार से किया जाएगा —

Scanned with CamSc

कंपनी अधिनियम की धारा 78 के अनुसार जिन अंशों पर एक बार प्रीमियम पूर्णतः प्राप्त कर लिया जाता है तब उन अंशों को जब्त करने पर प्रीमियम को रद्द नहीं किया जा सकता है. अतः ऐसी स्थिति में अंशों के जब्त करने के संबंध में लेखा वैसा ही किया जाता है, जैसा कि सममूल्य (At Par) पर निर्गमित अंशों को जब्त करने में किया जाता है, अर्थात् —

Share Capital A/c Dr.
To Share First Call A/c. (Unpaid)
To Share Second & Final Call A/c. (Unpaid)
To Share Forfeiture A/c. (Paid.)
(Being share forfeited for non payment of calls excluding amount of premium)

RE-ISSUE OF FORFEITED SHARES

जब्त किये गये अंश पूर्णरूप से कंपनी के अधिकार आ जाते हैं. अतः कंपनी के संचालक द्वारा उनका पुनः निर्गमन किया जा सकता है. निर्गमन तीन प्रकार से किया जा सकता है —

(i) At Par (सममूल्य पर)
(ii) At Premium (अधिमूल्य पर)
(iii) At Discount (कटौती पर.)

जब अंशों जब्ती का पुनः निर्गमन At Discount पर किया जाता है तब यह ध्यान रखा जाता है कि Discount की राशि Share forfeiture की राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए. पुनः निर्गमन के संबंध में लेखे निम्न प्रकार से किये जाते हैं —

Scanned with CamSc

A. जब सममूल्य पर पुनः निर्गमित किया जाए तब —

Bank A/c Dr.
To Share Capital A/c.
(Being forfeited shares reissued at Par.)

B. जब प्रीमियम पर पुनः निर्गमित किया जाए तब —

Bank A/c Dr.
To Share Capital A/c.
To Securities Premium Reserve A/c
(Being forfeited shares reissued at Premium.)

C. जब कटौती पर पुनः निर्गमित किया जाए तब —
इस संबंध में यह ध्यान रखा जाता है कि यदि जब्त अंश पहले Discount पर जारी न किया गया हो लेकिन जब्त के बाद Discount पर जारी किया गया हो तब —

Bank A/c Dr.
Share Forfeiture A/c Dr.
To Share Capital A/c.
(Being forfeited shares reissued at Discount.)

ठीक इसके विपरित जब जब्त अंश पहले भी Discount पर जारी किया हो तथा जब्त के बाद भी Discount पर जारी किया गया हो तब —

Bank A/c Dr.
Share Discount A/c Dr.
Share Forfeiture A/c Dr.
To Share Capital A/c.
(Being forfeited shares reissued at Discount.)

Scanned with CamScanner

अंशों के अपहरण करने तथा उनके पुनः निर्गमन से कंपनी को जो लाभ प्राप्त होता है, अर्थात अंशों के पुनः निर्गमन के पश्चात Share forfeiture A/c का जो शेष बचता है उसे पूँजी संचय (Capital Reserves) खाते हस्तांतरित कर दिया जाता है, इस संबंध में लेखा निम्न प्रकार से किया जाता है —

Share Forfeiture A/c Dr.
To Capital Reserve A/c.

Being Balance of Share Forfeiture A/c Transfer to Capital Reserve A/c.